

04-09-19

श्रीधर सुनवाई के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में आज पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट एवं परोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थिया/ अपीलान्ट ने जरिए अधिवक्ता प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 18-09-2019 नियत है। प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के निर्णय के अनुसार वादग्रस्त भूमि का प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते हैं अतः आज तारीख पेशी नियत की जाकर कार्यवाही की जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थिया/अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत विद्वा किए जाने अपील प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थिया के साथ प्रार्थिया श्रीमती ममता कुमारी मीणा w/o श्री मनोज उपस्थित। वकील प्रार्थिया ने निवेदन किया कि प्रकरण में विचाराधीन नामा० से संबंधित आदेश निरस्त होकर पुनः दिनांक 26-08-19 को आदेश पारित हो चुका है। जिससे वादग्रस्त नामा० स्वतः ही स्मारहीन हो गया है। प्रार्थिया विचाराधीन अपील को आगे नहीं चलाना चाहती है एवं अपील विद्वा करना चाहती है। हमने वकील अपीलान्ट एवं परोकार सरकार की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थिया/अपीलान्ट वादग्रस्त नामा० की अपील आगे नहीं चलाना चाहती है अतः अपीलान्ट की अपील इसी स्तर पर विद्वा किए जाने का प्रार्थना - पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल नामा० तहसीलदार चौमू को लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज नम्बर से क्रम हो। बाद तक मील दारिखल दफतर हो।



नतिशर कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर

पालना पथोप
कमी 1571
09/09/19

ममता कुमारी मीणा
उपस्थित मती
↓ सु-द
अपी